राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : –अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्र संख्या :–101 / 2024

दायर तारीख 18 / 04 / 2025

अनवान

01. मुकेश पिता कजोड़ जाति धाकड़ उम्र वंयस्क निवासी अमृतपुरियांतहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा(राज0)।

..........प्रार्थी

बनाम

01. भंवरलाल पिता चुन्नीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्कनिवासी अमृतपुरियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
02. सुगनलाल पिता देराम जाति धाकड़ उम्र वयस्कनिवासीअमृतपुरियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
03. नानालाल पिता देराम जाति धाकड़ उम्र वयस्कनिवासी अमृतपुरियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
04. शम्भुलाल पिता काशीरामजाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
05. जुम्मा पिता काशीराम पत्नी शम्भुलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरियां हाल मुकाम जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
06. सरजु पत्नी काशीरामजाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
07. शंकरी पुत्री देराम पत्नि मोतीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्कनिवासी अमृतपुरियां हाल मुकाम डोबिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... विपक्षीगण

उपस्थित : 1. श्री जगदीशचन्द्र धाकड़–अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री लक्ष्मीलाल सुराणा – अधिवक्ता विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक : 09/04/2026

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ताजगदीशचन्द्र धाकड ने प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** विरूद्ध विपक्षीगण पेश कर निवेदन किया / अनुतोष चाहा की प्रार्थी के स्वामित्व की खातेदारी ग्राम अमृतपुरियां पटवार हल्का चान्द जी की खेड़ी तहसील बिजौलियां में स्थित आराजी खसरा नम्बर 88 / 1 रकबा 0.0971 हैक्टेयर भूमि पर

लगातार पेज संख्या 02 पर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

जाने के लिए 12 फीट चौड़ा रास्ता जो कि आराजी नम्बर 8 गै०मु० रास्ता से होकर आराजी नम्बर गै०मु० नाला को पार करने के पश्चात विपक्षीगण की आराजी नम्बर 90 की पश्चिम मेर से होता दक्षिण दिशा में स्थित प्रार्थी के आराजी खसरा नम्बर 88/1 रकबा 0.0971 हैक्टेयर भूमि में ता है। प्रार्थी कई वर्षों से निरन्तर इसी रास्ते को उपयोग उपभोग कर प्रार्थी द्वारा अपनी जीयात पर काश्त की जा रही है। रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से प्रार्थी को अपनी जियात में आने जाने के लिये परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के अपनी आराजियात पर काश्त करने के लिए आने–जाने हेतु ट्रेक्टर, बैलगाड़ी ले जाने हेतु अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है, प्रार्थी को उक्त रास्ते के आने–जाने हेतु कभी भी अवरूद्ध किया जा ता है। प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं कि प्रार्थी को विपक्षी की उक्त आराजियात पर स्थित 12 फीट चौड़े रास्ते को रिकॉर्ड में लेने के में तय किये जाने वाला सरकारी मूल्य के आधार पर मुआवजा को तैयार हैं।

अतः निवेदन है कि उक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते को नियमानुसार कायम करवा राजस्व अभिलेखों में दर्ज अभिलेख कराया जाने का आदेश फरमावें। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दीयां संवत् 2076–2079 ग्राम अमृतपुरियांएवं नक्शा ट्रेस उक्त आराजीयात का पेश किया शामिल पत्रावली है।

प्रार्थनापत्र दिनांक 18.04.2025 को दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगण तलबी नोटिस मय नकल प्रार्थनापत्र भेज करवाई गई। विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे पत्रावली किया गया।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार बिजौलियां से निरिक्षण/मौका रिपोर्ट/तथ्यात्मक रिपोर्ट गयी। जिसके जवाब में तहसीलदार बिजौलियां से स्थल निरीक्षण रिपोर्ट /राजस्व/2025/777 दिनांक 07.05.2025 को प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार बिजौलियां ने अपनी स्थल निरिक्षण रिपोर्ट में अंकित किया किभू०अ०नि० टेया एवं पटवारी हल्का चान्द जी की खेडी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम अमृतपुरिया के आराजी नं0 रकबा 0.0971 है० भूमि में आने जाने के लिए 12 फिट चौडा रास्ता आ०नं० 90 जो गणो जुम्मा पुत्री काशीराम धाकड, नानालाल पुत्र देराम धाकड, भंवरलाल पुत्र चुन्नीलाल धाकड, पुत्र काशीराम धाकड, सुगनलाल पुत्र देराम धाकड, सरजू पत्नी स्व काशीराम धाकड की खातेदारी वादीगण आ०नं० 90 की दक्षिण दिशा में नाले के सहारे वाली मेड पर 36 मीटर लम्बाई एवं 4 चौडाई में यानि 144 व०मी० भूमि में रास्ता निकलेगा जो प्रकरण में चाहा गया है। आ०नं० 90 होकर आबादी के पास स्थित हैं एवं स्वीकृत खनन क्षेत्र से 500 मीटर से अधिक दूरी पर हैं एवं खनन क्षेत्र से 500 मीटर दूरी पर है। उक्त प्रस्तावित रास्ता सबसे निकटतम दूरी का है इसके अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रतिवादीगण आ०न0 94, 96, 97, 98, 89 से होकर अस्थायी देना चाहते हैं जो रेकार्ड में दर्ज नहीं कराना चाहते है, उक्त अस्थायी रास्ता प्रतिवादीगणो की भूमि से निकलेगा। उक्त अस्थायी रास्ता प्रस्तावित रास्ते से अधिक दूरी का पडता हैं एवं भूमि अधिक बिगडती है। मौका पर्चा बनाया जाकर पढकर सुनाया जाकर उपस्थित मौतबिरान ताक्षर लिये गये प्रतिवादी भंवरलाल ने हस्ताक्षर करने से मना किया।

ग्राम अमृतपुरिया की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आराजी नं0 90 रकबा 0.0890 है0 में रकबा 0.0144 है० भूमि की डी.एल.सी. दर 381900/– रू० प्रति है० से भूमि की मालियत 5500 रुपये का दुगुना से 11000/– रूपये की राशि बनती है।

लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

तहसीलदार बिजौलियां से स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के साथ मौका पर्चा, नकल जमाबन्दी नक्शा ट्रैस पेश किया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त स्थल निरीक्षण रिपोर्ट स्वीकार किया। पैरोकार सरकार ने किसी प्रकार का ऐतराज जांच रिपोर्ट पर नहीं किया।

उक्त प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादीगण श्री लक्ष्मीलाल सुराणा ने जवाब प्रस्तुत किया शामिल पत्रावली किया एवं जवाब में अंकित किया कि प्रार्थी एवं उसके भाई लोग अपनी आराजी 88/1, 88, 87/1 एवं 87 पर जिस रास्ते का वर्षों से उपयोग उपभोग कर रहा है एवं इसी का उपयोग उपभोग विपक्षी भी कर रहे है। विपक्षीगण द्वारा अपनी आराजी संख्या 90 में जाने आने फसल ले जाने लाने हेतु भी उसी रास्ते का उपयोग कर रहे है जिसको नजरी नक्शा जो जवाब के प्रस्तुत किया जा रहा है। उसमें उसको फ्लोरोसेन्ट कलर से दर्शित किया जा रहा है। यानी जी संख्या 88/1 प्रार्थी एवं उसके भाईयो कि संयुक्त आराजीयात संख्या 88/1, 88, 87/1 एवं 87 सभी लोग अपनी आराजीयात से आराजी संख्या 90 की पुर्वी मेर पर होते हुए कुए वाद आराजी 98 की दक्षिण मेर से होते हुए पुर्व दिशा में आराजी संख्या 99 के खातेदारो द्वारा उत्तरी मेर पर रास्ते से होते हुए आराजी संख्या 97, 96, 94 में होते हुए नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शित तक पहुंचते है। उक्त रास्ते के फोटुग्राफ कुए से लगाकर रास्ते तक के जवाब के साथ संलग्न है। रास्ता गुगल मेप में स्पष्ट परिलक्षीत हो रहा है एवं गुगल मेप में आराजी संख्या 82 नाला एवं संख्या 8 भी परिलक्षीत हो रही है जो प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को स्पष्ट झुठा प्रमाणित करने हेतु है आराजी संख्या 82 राजस्व ग्राम अमृतपुरिया एक गहरा नाला है जिसको नजरी नक्शे में नारंगी दर्शित किया गया है। आराजी संख्या 82 जो नाला है वहा पर आराजी संख्या 90 की पश्चिमी उत्तरी कोर्नर पर लगभग 8 से 10 फिट गहरी है, यानी आराजी संख्या 90 एवं 88/1 नाले से लगभग उंची जगह पर है आराजी संख्या 8 से 90 पर आने के लिए कम से कम 10 फिट उंची आराजी संख्या 82 परबनाई जाये तो ही ऐसी स्थिति में विपक्षीगण वादी अपनी आराजीयात पर सकते है जो किसी भी हालत में सम्भव नही है एवं इस स्थिति में मौके पर रास्ता किस प्रकार धारा 251 (क) (1) उन बैचारे काश्तकारो के लिए बनायी गयी है जिनकी जमीनो पर जाने के रास्ता नही है। उक्त कानुन का दुरूपयोग प्रार्थी अपने एवं अपने भाईयो के लिए सुखद रास्ता के पास से बनाना चाहता है जिसका विधि में कोई स्थान नही है। वास्तविक रूप में वर्तमान में रास्ते का उपयोग उपभोग आराजी संख्या 88/1, 88, 87/1, 87 90, 89, 99, 96, 97, 94 द्वारा जाता है उसके फोटुग्राफ मय गाडी गड़ार के साथ संलग्न है। आराजी संख्या 88/1 पर पहुंचने का जो वर्षों से है उसको नजरी नक्शे में दर्शित किया गया है।आराजी संख्या 99 राजस्व ग्राम पुरिया के राजस्व खातेदारान इस प्रकरण के आवश्यक पक्षकार है एवं उनकी आराजीयात की उत्तरी होकर रास्ते की जगह है जो उनके द्वारा रास्ते के लिए छोडी गई है। इस कारण आराजी संख्या राजस्व खातेदार प्रकरण के आवश्यक पक्षकार के एवं बिना उन्हे पक्षकार बनाये प्रार्थनापत्र का किसी प्रकार से निस्तारण नही किया जा सकता। रास्ता जो वर्तमान में है उन आराजीयात के खातेदारान की खाते की नकले एवं प्रार्थी के भाईयो के खाते की नकले इस जवाब के साथ है एवं नजरी नक्शा इस जवाब का एक अभिन्न अंग है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र सव्यय फरमाया जाते हुए विपक्षीगणो को विशिष्ट हर्जा खर्चा दिलाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें यदि नजरी नक्शे में दर्शित रास्ते को स्थाई रूप से राजस्व रेकॉर्ड में अंकित कराना चाहता हो तो नियमानुसार डी.एल.सी. रेट की चारगुना राशि उन खातेदारो को देते हुए कायम करा सकता है जिनकी आराजीयात उक्त रास्ते में आती है।

लगातार पेज संख्या 04 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ

पत्रावली को बहस के स्तर पर रखा गया।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत साक्ष्य एवं बहस उभयपक्षकारान सुनने एवं सीलदार बिजौलियां से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात् आदेश पारित किए जाते हैं :—

—:: आदेश ::—

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 251 ए(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** प्रार्थी पक्ष में स्वीकार किया जात है कि प्रार्थी के स्वयं की खातेदारी भूमि ग्राम अमृतपुरियां पटवार हल्का न्द जी की खेड़ी तहसील बिजौलियां में स्थित आराजी खसरा नम्बर 88/1 रकबा 0.0971 हैक्टेयर मेमें स्वयं के पैदल, मोटर साईकल, ट्रेक्टर, बैलगाड़ी से आने जाने के लिए रास्ते हेतु विपक्षीगण की राजी नं0 90 रकबा 0.0890 हैक्टेयर में से 36 मीटर लम्बाई एवं 4 मीटर चौड़ाई में यानि (रकबा 0. 144 हैक्टेयर) भूमिको राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकीन रास्ता (रास्ता/पगडंडिया) अभिलिखित/दर्ज रने के आदेश दिये जाते हैं।

ग्राम अमृतपुरिया की रास्ते हेतु आराजी नं० 90 रकबा 0.0890 है० किस्म बंजड में से 0. 144 है० भूमि की डी.एल.सी. दर 381900/— रू० प्रति है० से भूमि की मालियत 5500/—रूपये का गुना से 11000/— रूपये की राशि बनती है।जो कि बतौर मुआवजा भुगतान योग्य हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर नियमानुसार रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किया जावें। ालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 09/04/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर खवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला—भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

/रीडर/2026/ दिनांक :16/04/2026

:- 899/26

तहसीलदार
बिजौलियां

:- राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 101/2024दायर तारीख 18/04/2024 अन्तर्गत धारा 251 ए(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पालना किये जाने बाबत्।

अनवान

01. मुकेश पिता कजोड़ जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

...........प्रार्थी

बनाम

01. भंवरलाल पिता चुन्नीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क अमृतपुरियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
02. सुगनलाल पिता देराम जाति धाकड़ उम्र वयस्क अमृतपुरियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
03. नानालाल पिता देराम जाति धाकड़ उम्र वयस्क अमृतपुरियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
04. शम्भुलाल पिता काशीराम जाति धाकड़ उम्र वयस्क अमृतपुरियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
05. जुम्मा पिता काशीराम पत्नी शम्भुलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क अमृतपुरियां हाल मुकाम जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
06. सरजु पत्नी काशीरामजाति धाकड़ उम्र वयस्क अमृतपुरियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।
07. शंकरी पुत्री देराम पत्नि मोतीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्कनिवासी अमृतपुरियां हाल मुकाम डोबिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... विपक्षी

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं **राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 101/2024 दायर तारीख** /2024 **अन्तर्गत धारा 251 ए(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** के तहत प्रकरण का किया गया हैं। जिनके आदेश की फोटो प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको भिजवायी जा

अतः संलग्न आदेश की नियमानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

:- आदेश की फोटो प्रति।

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां